

विपणन स्तर पर

- निर्माण के तुरंत बाद उत्पादों को रिटेलर पाइन्ट तक पहुँचाया जाना जिससे ताजा उत्पाद उपभोक्ता तक पहुँच सके।
- संयंत्र के शीतगृहों से लेकर रिटेलर पाइन्ट पर भण्डारण तक कोल्ड चेन सुनिश्चित किया जाना।
- स्थानिय स्तर पर इन्सुलेटेड वाहनों से एवं दूरदराज गन्तव्य हेतु रेफ्रिजरेटेड वाहनों से कोल्ड चेन मेन्टेन किया जाकर उत्पादों का परिवहन।
- रिटेलर पाइन्ट पर (पार्लर्स, एजेन्सीस) रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीज आदि के माध्यम से उत्पादों को निर्धारित तापक्रम पर रखा जाना।
- किसी भी परिस्थिति में **use by date** के उपरांत दुग्ध उत्पादों को विक्रय नहीं करने के पार्लर संचालक/एजेन्टस को सख्त निर्देश एवं उक्त की संघ स्तर से सतत् मॉनिटरिंग।
- उपभोक्ता के शिकायतों के निराकरण हेतु **dedicated** कस्टमर केयर नंबर का संचालन के साथ-साथ सीधे उपभोक्ताओं से व्यक्तिशः संपर्क कर शिकायत निवारण की व्यवस्था